फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालत न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम–बारां (राज.)

बउनवान

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि० (पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सर्स (इण्डिया) लिमि० पंजीकृत कार्या० 19-ए. धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

प्रकाश सोनी पुत्र नंदकिशोर सोनी पता- 34, मोहल्ला नागरान मिसाई तह- किशनगंज (ऋणी) एवं सहऋणी

किस्म मुकदमा :– प्रा0पत्र धारा–14, सरफेसी एक्ट,2002(विविध)

मुकदमा नम्बर :– 05/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
13/05/2019	प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्नर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) द्वारा जर्ये अभिभाषक श्री अमर सिंह नरूका ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेंन्नर्स(इंडिया) लिमिटेड) ने अप्रार्थी **प्रकाश सोनी पुत्र श्री नंदकिशोर सोनी, पता– 34, मोहल्ला नागरान मिसाई, मिसाई तहसील–किशनगंज जिला–बारां दूसरा पता–सम्पत्ति खसरा नम्बर 253, विलेज मिसाई तहसील–किशनगंज (ऋणी)** श्रीमती पदमा कुमारी सोनी पत्नी प्रकाशचंद सोनी **(सहऋणी)** श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी नंदकिशोर मिसाई तहसील–किशगनंज **(सहऋणी)** को जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति को बन्धक रखकर कुल 2.11,000/–रूपये का ऋण दिनांक 10.10.2017 को उपलब्ध कराया गया था। अप्रार्थी को दिनांक 31.08..2018 को डिफाल्डर घोषित किया गया है। अप्रार्थी ऋण चुकाने में असफल रहा है, दिनांक 29.09.2018 तक 2,43,483/–रूपये एंव इसके पश्चात् शेष, ब्याज व अन्य खर्चे राशि बकाया है। अतः कार्यवाही The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–2 के तहत पेश कर अपने पास बतोर जमानत रहन रखी हुयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु लिये पर्याप्त बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।	

जिला मजिस्ट्रेट बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

13/05/2019

प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर, ऋण लिया है। अप्रार्थी ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थी) सहऋणी एवं जमानती को दिनांक 29.09.2018 को धारा, 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, जो अप्रार्थी ऋणी को प्राप्त हुआ है तथा अखबार साया भी किया गया है। बंधक सम्पत्तियॉं इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की कियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **श्रीप्रकाश सोनी पुत्र श्री नंदकिशोर सोनी की सम्पत्ति खसरा नम्बर 253, विपेज मिसाई तहसील–किशनगंज जिला–बारां कुल क्षैत्रफल 700 स्क्वायर फुट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश पृथक से जारी किया जाकर, पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रवीष्ठ हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner